

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

3

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सेमली-पोहन के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार (भू.अ.)  
पिड़ावा जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

दिनांक :

06/10/25

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/217

वादी/प्रार्थी के ग्राम सेमली-पोहन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिड़ावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी  
जिला झालावाड़ राज0  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

